Saathi

Date 09/07/2020 Page (1 to 2)

B.A. PART-2nd (H)
POLITICAL SCIENCE
PAPER-III (Indian Government and politics)
CH-2 (The Preamble)
Lecture no.- 08 (After Summer Vacation)

By,
OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL. SCIENCE
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

प्रस्तावना की उपयोगिता
Importance of the Preamble

(i) संविधान का कोई ~~अनुच्छेद~~ अनुच्छेद जब स्पष्ट नहीं हो पा रहा हो और उसका सही-सही अर्थ जानने में कठिनाई हो तो स्पष्टीकरण के लिये प्रस्तावना की भाषा का सहारा लिया जा सकता है।

(ii) यह संविधान की आत्मा है। इससे संविधान के दर्शन की स्पष्ट झलक मिलती है।

(iii) इसमें राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है।

(iv) सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर के शब्दों में, "संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है।"

(v) के॰एम॰ मुंशी ने भारतीय की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु; प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्मकुंडली कहा है।

(vi) प्रस्तावना में "हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं।" का उल्लेख है, जो इसकी उपयोगिता को सिद्ध करते हैं।

प्रस्तावना से सम्बंधित मुख्य बातें —

(i) उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से यह अभिनिर्धारित किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है; किन्तु न्यायालय ने

Scanned with CamScanner

Saathi

Date __/__/____

यह भी स्पष्ट किया कि उद्देशिका के उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता, जो आधारभूत ढाँचे से सम्बंधित है। (केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973)

(ii) हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति (1789–1799) से लिया गया है।

(iii) सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के तत्वों को रूस की क्रांति (1917) से लिया गया है।

मूल्यांकन :—

प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों का मूल्यांकन करेंगे तो हम एक ओर पाएंगे कि ये अधिक पवित्र होते हुए भी उन्हें न्याय-योग्य स्थिति प्राप्त नहीं होती है। जैसा कि न्यायमूर्ति गजेन्द्र गडकर के शब्दों में, "प्रस्तावना अपने आप में न तो शासन की शक्ति का एक स्रोत होती है और न ही शासन को किसी शक्ति से वंचित करने का साधन।" तो दूसरी ओर संविधान के किन्हीं शब्दों में अस्पष्टता होने की स्थिति में व्याख्या के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है, क्योंकि जैसा कि भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश सुब्बाराव ने कहा है, "प्रस्तावना संविधान के आदर्शों व आकांक्षाओं को बताती है।"

न्यायाधीश महाजन ने 'गोपालन बनाम मद्रास राज्य' में कहा था कि "धारा 22(5) की जो व्याख्या मैंने की है, उसका समर्थन संविधान की प्रस्तावना में अभिव्यक्त शब्दों से होता है। यह प्रस्तावना हमारे संविधान को उत्कृष्ट रूप प्रदान करती है।"

इस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना सबसे श्रेष्ठ है, यह संविधान की कुंजी है।

x——x——x——x

Scanned with CamScanner